

कार्यालय : मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों तहत इस कार्यालय के आदेश संख्या-क्रमशः सेवाएं-3क(2)/अराज0/शिविरि/01, 02 एवं 03/2016-17 दिनांक 06 मई, 2016 द्वारा स00अएल0टी0-संस्कृत सामान्य शाखा, महिला शाखा तथा स0अ0एल0टी0-बंगाली सामान्य शाखा में नियुक्ति आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त नियुक्ति आदेशों के पृष्ठांकन क्रमांक-11 में सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को आदेश निर्गत होने के 07 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पृष्ठांक संख्या-11 में दिये गये निर्देश में आंशिक संशोधन करते हुए तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आदेश निर्गत होने की तिथि से 07 दिन के स्थान पर 15 दिन के भीतर संशोधित समझा जाय। नियुक्ति आदेशों की अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

(श्रीमती सुषमा सिंह)

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पृ0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/

55-57

/2016-17 दिनांक 09 मई, 2016

प्रतिलिपि प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01-निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

02-सम्पादक दैनिक जगन्नाथ / हि-कुवा को इस आशय के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को अपने दैनिक समाचार पत्र में उत्तराखण्ड संस्करण में न्यूनतम दरों में प्रकाशित करते हुए बिल दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल